कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।
ठेकों की नीलामी की सार्वजनिक सूचना

पत्रांक कानपुर नगर दिनांक 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित ठेकों की नीलामी की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये दिनांक 27.03.2025 को सायंकाल 4:30 बजे प्रथम तल के बरामदे में सम्पादित की जायेगी, जो व्यक्ति/संस्था ठेका नं0 1, की नीलामी मे भाग लेना चाहते हैं, वह एक प्रार्थना पत्र वर्तमान की फोटो के साथ अपना हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी व पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करते हुये केन्द्रीय नजारत में जमानत की धनराशि रूपया मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) तथा शेष ठेकों के लिये रूपया 20,000/–(बीस हजार रूपये) कैशियर के पास दिनांक 26.03.2025 को सायंकाल 5:00 बजे तक जमा करेंगे तथा उक्त जमानत धनराशि सन्दर्भित ठेकों को प्राप्त न किये जाने वाले व्यक्ति को नीलामी समाप्त होने के बाद वापस की जायेगी।

सन्दर्भित नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को बोली की आधी धनराशि तत्काल केन्द्रीय नजारत में जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा उक्त बोली को निरस्त कर दिया जायेगा। सन्दर्भित बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को ठेका प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र दो दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि–

1–बोली बोलने वाला व्यक्ति बकायेदार व काली सूची के अर्न्तगत न आता हो।

2–बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही विचाराधीन हो। इस आशय का शपथपत्र बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली में भाग लेने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3–बोली स्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित रहेगा।

जनपद न्यायालय, कानपुर नगर परिसर में स्थापित ठेकों का विवरणः–

1– ठेका चाय, नमकीन (मुस्लिम होटल) न्यायालय परिसर पुरानी बिल्डिंग
2– ठेका चाट का ठेला न्यायालय परिसर पुरानी बिल्डिंग
3–ठेका दुकान नं0–6 जलपान कैन्टीन (न्यायालय परिसर के अन्दर की ओर नगर निगम पार्क बिल्डिंग)

(विकास गोयल)
स्पशेल जज, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,कानपुर नगर।

पत्रांक: 585(i)/I कानपुर नगर दिनांक: 07.03.2025

इस नीलामी की सार्वजनिक सूचना की एक–एक प्रति समस्त सार्वजनिक स्थानों के अतिरिक्त जनपद न्यायालय, कानपुर नगर, कार्या0 जिलाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये व एक प्रति निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

इस सूचना को जनपद न्यायालय, कानपुर नगर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफीसर, जनपद न्यायालय, कानपुर नगर को अवगत कराया जाये।

(विकास गोयल)
स्पशेल जज, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/
अध्यक्ष, नीलामी समिति,कानपुर नगर।